तत्काल

संख्या-52/924/84-डे0ई0-13-924/2013

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 07 नवम्बर,2013

विषय:- श्री ब्रम्हादीन, सहायक ग्रेड-1 उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-265स्था0एस0/बत्तीस-2013, दिनांक 19-10-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

(1) क्या श्री ब्रम्हादीन, सहायक ग्रेड-1 को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु निगम के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदनोंपरान्त प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि हाँ, तो निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय ।

(2) क्या कैंसर रोग से पीडित कार्मिकों को निजी चिकित्सालय में उपचार कराये जाने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मई 1996 में की गयी है।

(3) क्या निगम के कार्मिकों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15-4-1998 की बैठक में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। यदि हाँ, तो निदेशक मण्उल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव ।

http://sracademy.up.nic.in/